PUC

Subject: Review Meeting of Distt. Level Quality Assuranc Committee (DQAC) for montring (as per GOI).

जिला स्तरीय Quality Assuranc Committee जोकि जिला अम्बाला मे बन्धीकरण के लिये ऐक्रीडेटिड़ किये गये पब्लीक व प्राईवेट सस्थाओ के कार्य की समीक्षा करने के लिये हर तीन मास बाद एक्रीडैटिड सस्थाओ से रिपोर्ट आने के बाद निम्नलिखित अधिकारियो की मोजूदगी मे मिटिंग की जानी है। इसमे मिटिग मे असफल बन्धीकरण केसीज , मृत्यु केसीज , बन्धीकरण केसीज व परिवार कल्याण सम्बन्धित गतिविधियो पर विचार–विमश किया जायेगा । अतः उन अधिकारियो के पद के अनुसार उनके नाम का सुझाव देने के लिये यह नोटिग प्रस्तुत की जा रही है। कृप्या अधिकारीगण इस मिटिंग के लिऐ तिथि निशचित करने का कष्ट करे ।

1. Civil Surgeon-Vice Chairman
2. Principal Medical/MS (Convener)
3. Distt. Family Welfare Officer (Member Secretary)
4. Nodel Officers of Programme Divisions at District.
5. Incharge of CHC and PHC on each by rotation
6. One empanelled gynecologist
7. One empanelled Surgeon (from Public institutions
8. One paediatrician (from Public institutions)
9. One Anaesthetist (From Public instutions)
10. One respective from Nursing Cadre
11. One respective from legal cell
12. One member from accredited private sector hospital/NGO(healthcare sector) USAID
13. One respective from medical professional bodies e.g. IMA/IAP ect.IMA President

आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

Dealing Asstt. 25/6/18

Superintendent

DFWO

Civil Surgeon 12/07/18

309

10/07/18 3.0

प्रेषक

उप सिविल सर्जन (प0क0)
अम्बाला ।

सेवा मे

1. उप सिविल सर्जन (एन0एच0एम0) – सदस्य ।
2. उप सिविल सर्जन (ट्रेनिग) – सदस्य ।
3. प्रवर चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी ई0एस0आई0 डिसपैसरी अम्बाला ।
4. डा0 वीनू अरोडा, गायनाकोलोजिस्ट, नागरिक हस्पताल, अम्बाला शहर ।
5. डा0 पूजा, एनैस्थजियिस्ट।
6. श्रीमत कुलवन्त कौर, मैटर्न नागरिक हस्पताल, अम्बाला शहर ।
7. डा0 अशोक बवेजा, आई0एम0ए0 प्रेसीडेट।
8. प्रवर चिकित्सा अधिकारी, सी0एच0सी0 मुलाना ।
9. प्रवर चिकित्सा अधिकारी, सी0एच0सी0 बराडा ।
10. डा0 एस0के0 गुप्ता, सर्जन ।

क्रमांक / प0क0 / एस0ए0 / 2018 / 3160-70 दिनांक 06/7/18

विषयः– Quality Assurance Committees (QAC) Meeting (as per GOI)

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है कि आप जिला स्तरीय क्वालिटी एशेरेन्स कमेटी के सदस्य नियुक्त है । अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस कमेटी की मिटिग का आयोजन सिविल सर्जन महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2018 को सांय 3.00 बजे सिविल सर्जन कार्यालय मे किया जा रहा है । इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप सिविल सर्जन कार्यालय कक्ष मे दिनांक 10.07.2018 को सांय 3.00 बजे मिटिग मे भाग लेने हेतू उपस्थित होवें।

उप सिविल सर्जन (प0क0)
कृते सिविल सर्जन, अम्बाला ।

विषयः Quality Assurance Committee (QAC) Meeting (as per GOI)

आज दिनांक 10.07.2018 को सिविल सर्जन, अम्बाला की अध्यक्षता में इस जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिये सिविल सर्जन, महोदय के कार्यालय कक्ष में Quality Assurance Committee (QAC) Meeting (as per GOI) मिटिंग हुई। जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों / डाक्टर्स / कर्मचारियों ने भाग लिया :–

क्र0 सं0	नाम	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1	सिविल सर्जन, अम्बाला।	7027822046	[signature]
2	उप सिविल सर्जन(प0क0) अम्बाला।	9896820757	[signature]
3	उप सिविल सर्जन(NHM) अम्बाला–सदस्य	9466510498	[signature]
4	उप सिविल सर्जन(~~NHM~~ डेन्टिंग) अम्बाला–सदस्य	9813661844	[signature]
5	डा0 एस0के0 गुप्ता, सर्जन		
6	डा0 बीनू अरोडा, ग्याईनोक्लोजिस्ट	9896795049	[signature]
7	डा0 पूजा, एनास्थेसीस्ट	9896057487	Puja
8	श्रीमति सुरेश बाला, नर्सिंग सिस्टर	9466361863	[signature] N/S
9	आई0एम0ए0 प्रेजीडेंट, डा0 अशोक बावेजा।	9416155827	[signature]
10	SMO / MO ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी, अम्बाला शहर।	9992586551	[signature]
11	~~डा0 कुलदीप~~सिंह, एस0एम0ओ0 मुलाना Dr Tejinder Sahu	8607071577	[signature]
12	एस0एम0ओ0 बराडा		
13	श्री जयपाल, एस0ए0	9050576931	[signature]
14	श्री मोहन लाल, अधीक्षक		[signature]
15	डा0 रजनी, ग्याईनोक्लोजिस्ट	9996152453	[signature]

313

16. Dr. Niharika Sharma MOPPC 8950967388 [signature]
17. Rahul Singh, Clerk 7027010436 [signature]
Sudesh Kundu DFWEO - 9034158573 [signature]

डा0 मुकेश कुमार, सिविल सर्जन, अम्बाला की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2018 आयोजित Quality Assuranc Committee की मिटिंग की प्रोसिंडीग ।

डा0 मुकेश कुमार, सिविल सर्जन, अम्बाला की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2018 आयोजित Quality Assuranc Committee की मिटिंग का आयोजन किया गया पूर्व निर्धारित तिथि समय एवं स्थान अनुसार उनके कार्यालय कक्ष में किया गया। इस बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की उपस्थिति अलग से दर्ज की गई। बैठक में मिटिंग के एजैंडा पर चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये।

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नलबन्दी/नसबन्दी करवाने वाले लाभर्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बारे में निर्देश दिये गये कि मोटीवेटरस को आदेश दिये जाये कि वह परिवार कल्याण शिविर दिवस को समय पर केसों को लेकर ओप्रेटिंग सैंटर पर पहुंचे ताकि समय पर उनके सभी पोस्ट ओप्रेटिंग टैस्ट इत्यादि किये जा सकें और समय पर उन्हे ओप्रेट करके वापिस भिजवाया ज सकें।

2. परिवार कल्याण स्ट्ररलाईजैशन के केसों में असफल केसों की दर कम करने बारे विस्तार से चर्चा की गई। सिविल सर्जन, महोदय ने निर्देश दिये कि जिला में कार्यरत सभी जर्नरल सर्जन की डियुटी परिवार कल्याण शिविर में केस ओप्रेट करने के लिये फिल्ड में भी लगाई जायें। यदि कोई सर्जन व गायनाकोलोजिस्ट ऐसा करने में स्वयं को अनट्रेड बताता है तो उससे इस बारे में लिखवाकर भेजें ताकि उसे महानिदेशालय के माध्यम से मिनीलैप/लैप्रो0 की ट्रैनिंग के लिये पी0जी0आई0 रोहतक 15 दिन की ट्रैनिंग पर भेजा जायें। इसके बावजूद भी यदि कोई सर्जन या गायनाकोलोजिस्ट ट्रैन्ड होते हुये भी यह कार्य करने से मना करता है तो उसे यह स्पष्ट कर दिया जायें कि उसे पी0जी0/डिप्लोमा की जो विशेष वेतन वृद्धियां नियुक्ति के समय सरकार द्वारा दी जाती है वह वापिस लेने के लिये सरकार को लिख दिया जायेंगा। इस बारे में सभी सर्जनस व गायनाकोलोजिस्ट को एक पत्र भी अलग से लिख दिया जायें और जब इन सर्जनस द्वारा कार्य करना आरम्भ कर दिया जायें तो प्रांईवेट सर्जन को इस कार्य के लिये बुलाना बन्द कर दिया जायें।

सिविल सर्जन, महोदय द्वारा मिनीलैप की निम्नतर उपलिब्धयों को भी अतिगम्भीरता से लेते हुये सभी ओप्रेटिंग सैंटरस पर मिनी लैप स्ट्ररलाईजैशन करने पर भी अधिकाधिक जोर दिया गया और अम्बाला शहर तथा अम्बाला छावनी में प्रतिदिन करने पर एवं तदानुसार केसों को मोटीवेट करने के निर्देश स्वास्थ्य कर्मियों/मोटिवेटरस को देने के लिये कहा गया। सिविल सर्जन, महोदय द्वारा इस कार्य के लिये सर्जनस का रोस्टर बनाने के लिये भी निर्देश दिये गये।

3. सिविल सर्जन, महोदय द्वारा विशेष शिविरों में भी एन0एस0वी0 के केस न्यूनतम ओप्रेट होने पर विचार विमर्श उपरान्त इसे अति गम्भीरता से लिया गया और निर्देश दिये गये कि एन0एस0वी0 के लिये अधिकाधिक प्रचार करके लोगो को इसके प्रति जागरूक किया जाये और एन0एस0वी0 केसों के लिये अधिकाधिक मोटीवेशन की जायें।

4. पी0पी0आई0यू0सी0डी0 के अन्तर्गत निम्न उपलब्धियों को भी सिविल सर्जन, महोदय द्वारा गम्भीरता से लिया गया और इसके जो कारण कमेटी के सदस्यों द्वारा बताएं गए उनसे सिविल सर्जन, महोदय ने असहमति प्रगट की और पी0पी0आई0यू0सी0डी0 को प्रोत्साहित करने के लिये इसकी मोटीवेशन पर अधिकाधिक जोर देने के लिये निर्देश दिये गये। क्योंकि इसके लिये भी सरकार द्वारा उपयुक्त राशि मोटीवेशन के लिये नियत है।

5. डा0 पूजा पैन्टल, एनसथिजीएस्ट ने सिविल सर्जन, महोदय से उनकी अनुमति उपरान्त उनसे यह अनुरोध किया कि परिवार कल्याण शिविरस में एनसथिजीएस्ट द्वारा यदि किसी केस को ओप्रेशन के लिये आयोग्य किया जाता है तो इस पर मोटीवेटरस/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा जो अनावश्यक आपत्ति की जाती है और केस को ओप्रेट करने पर जोर दिया जाता है को बन्द कराया जायें क्योंकि कथित केस ईलाज उपरान्त भविषय में होने वाले कैम्प में ओप्रेट हो सकता है।

जारी पृ0–2

6. सिविल सर्जन, महोदय द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली इस बैठक में सभी जर्नल सर्जन, एनसथिजीएस्ट सभी ग्यानोकोलोजिस्ट एंव पैथोलोजिस्ट को बुलाया जाना भी सुनिश्चित किया जायें।

अन्त में सिविल सर्जन महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव उपरान्त बैठक सम्पन्न की गई।

———

पृ0कमांक—एस0ए0—18 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही / अनुपालनार्थ भेजी जाती है :–

1. प्रिंसीपल मैडीकल ओफीसर नागरिक अस्पताल अम्बाला शहर।
2. सभी उप सिविल सर्जन, मुख्यालय पर।
3. प्रवर चिकित्सा अधिकारी, नागरिक असपताल अम्बाला छावनी / नारायणगढ।
4. प्रवर चिकित्सा अधिकारी, सी0एच0सी0 मुलाना।
5. मैट्रैन नागरिक अस्पताल अम्बाला शहर।

सिविल सर्जन, अम्बाला।

पृ0कमांक—एस0ए0—18 / 3271-72 दिनांक 16-7-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रेषित है :–

1. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें हरियाणा, पंचकूला ।
2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें (प0क0) हरियाणा, पंचकूला।

सिविल सर्जन, अम्बाला।